न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान रोहित बनाम राजस्थान सरकार
प्रार्थना–पत्र संख्या – 153/2025
निर्णय दिनांक ...11.06.25...........

रोहित दत्तक पुत्र रूकमणी देवी पत्नी सीमाराम जाति ब्राह्मण निवासी बुचावास तहसील तारानगर जिला चूरू।

–प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

–::निर्णय::–

प्रार्थी द्वारा तहसीलदार तारानगर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड कृषि भूमि रोही मौजा बुचावास पटवार हल्का बुचावास तहसील तारानगर के खाता संख्या 1004 खसरा सं. 2405/795 तादादी 4.6028 हैक्ट में रोहित पारीक है व अन्य दस्तावेजों में नाम रोहित है। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में रोहित पारीक के स्थान पर रोहित अंकित किये जाने की कृपा करावें। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार तारानगर के पत्रांक एलआर/891 दिनांक 12.05.2025 द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। मुताबिक जांच रिपोर्ट के ग्राम बुचावास में पूछताछ के एवं दस्तावेजों में प्रार्थी रोहित पारीक दत्तक पुत्र रूकमणी देवी पत्नी सीताराम जाति ब्राह्मण निवासी बुचावास का सही नाम रोहित है। अतः ग्राम बुचावास की उक्त जमाबंदी खाता संख्या 1004 में रोहित पारीक की बजाय रोहित नाम किया जाना उचित है क्योंकि रोहित पारीक व रोहित एक ही व्यक्ति है।

तहसीलदार तारानगर से प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से प्राप्त जांच रिपोर्ट में भू.अ.निरीक्षक व पटवार हल्का ने प्रार्थी का नाम रोहित दत्तक पुत्र रूकमणी देवी पत्नी सीताराम व रोहित पारीक दत्तक पुत्र रूकमणी देवी पत्नी सीताराम दोनों नाम एक ही व्यक्ति का होना अंकित किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम रोहित पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम रोहित पारीक दत्तक पुत्र रूकमणी देवी पत्नी सीताराम अंकित है। नाम में भिन्नता से प्रार्थी को परेशानी होना सम्भव है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा बुचावास पटवार हल्का बुचावास तहसील तारानगर के खाता संख्या 1004 खसरा सं. 2405/795 तादादी 4.6028 हैक्ट के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज वादी का नाम **रोहित पारीक Delete** कर इसके स्थान पर **रोहित** अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ...11.06.25.......... को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Rajendra
(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)